

**छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,**

**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला रायपुर (छ.ग.)**

विज्ञापन

क्रमांक एफ 9-9/2021/1-8

नवा रायपुर अटल नगर , दिनांक

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के अंतर्गत तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थियों से, ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांकसे दिनांक..... तक आमंत्रित किये जाते हैं।

परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

(1) पद का नाम – सहायक ग्रेड-3

स.क्र.	कार्यक्रम	तिथि एवं समय
1	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	10.11.2021 (बुधवार)
2	ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	02.12.2021(गुरुवार) रात्रि 11.59 बजे तक
3	त्रुटि सुधार	03 से 05 दिसंबर, 2021
4	व्यापम द्वारा वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	10.12.2021 (शुक्रवार)
5	परीक्षा की तिथि (संभावित)	19 दिसम्बर, 2021 (रविवार)
6	परीक्षा का समय	पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12.15 बजे तक
7	परीक्षा केन्द्र	प्रदेश के 16 जिला मुख्यालयों में

(2) रिक्त पदों में आरक्षण की जानकारी

पद नाम एवं संख्या –सहायक ग्रेड-3-63 पद(59 सीधी भर्ती +04 बैकलॉग)

क्र	वर्ग	कुल रिक्त पद की संख्या	पद संख्या			
			अना.	महिला	दिव्यांगजन	भ.पू.सै.
1	अनारक्षित	26	16	7	1	2
2	अनुसूचित जाति	7	5	2	0	0
3	अनुसूचित जनजाति	21 (3CF)	11 + 3 CF	5	1	1
4	अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)	9 (1CF)	6 + 1 CF	2	0	0
	योग	63	42	16	2	3

टीप :- CF से तात्पर्य अग्रणित (Carry Forward) पद से है।

माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रिट पिटिशन क्रमांक (सी) 591/2012, 592/2012, 593/2012 एवं 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधधीन रहेंगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार अथवा संबंधित कार्यालय की आवश्यकता अनुसार विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(3) पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं :-

(1) सहायक ग्रेड-3

(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र

(3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघंटे की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी।

नोट :-(1) उपरोक्त क्रमांक 1 से 2 का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र विज्ञापन जारी होने के दिनांक को धारित हो।

(2) उपरोक्त क्रमांक 3 की दक्षता की जांच, प्रायोगिक दक्षता की कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की दक्षता/कौशल परीक्षा के समय ही की जाएगी।

महत्वपूर्ण टीप :- (1) उपरोक्त वर्णित योग्यता न्यूनतम योग्यता है। अतः आवेदक उपरोक्त पदों पर आवेदन करने के पूर्व, यह आश्वस्त हो ले कि वह आवेदित पद की योग्यता धारित करता है।

(2) सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति हेतु कम्प्यूटर विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-1/2008/1/3 दिनांक 01.02.2013, क्रमांक एफ 09-4/2015/1/3 दिनांक 23.01.2015 तथा क्रमांक एफ 9-4/2017/1-3 दिनांक 22.01.2018 द्वारा निर्धारित की गई है, के अनुसार होगी।

(4) आयु सीमा –

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल/स्थानीय निवासियों को कैलेण्डर वर्ष 2021 में निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिलाओं, निःशक्तजन, शासकीय कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को शासन के प्रचलित निर्देशों के अनुसार आयु-सीमा में छूट का लाभ प्राप्त होगा किन्तु सभी देय छूट को मिलाकर उनकी अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(5) नियुक्ति के लिए शर्तें :-

- (1) आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी हो।
- (2) चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति छ.ग.शासन वित्त निर्देश 21/2020 दि.29.07.2020 के निर्देशानुसार 03 वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर की जाएगी।
प्रथम वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत,
द्वितीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत,
तृतीय वर्ष – उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत,
- (3) सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह किए हों, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13-22/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं प्रारूप –(एक) के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (5) चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय मूल/स्थानीय निवासी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/तकनीकी अर्हता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (6) ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टियों की भलीभांति जांच कर लेवे। एक बार आवेदन कर दिये जाने के बाद परीक्षा के पूर्व या परीक्षा परिणाम के बाद त्रुटि सुधार के लिए किया गया कोई भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (7) चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।
- (8) चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस व्हेरीफिकेशन के पश्चात् सेवा में लिया जायेगा।
- (9) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी। यदि आयु भी समान हो तो लिखित परीक्षा में सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
- (10) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, अतएव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (11) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग का होगा।

विस्तृत विज्ञापन, पाठ्यक्रम, व्यापम की परीक्षा संचालन नियम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध होगा।


(जे.एस.राजपूत)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग